शांतिदेवी बनाम श्योराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
27.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया के दादा दलसुख के फौत होने के पश्चात विरास्तन अप्रार्थी को प्राप्त हुई है। इसलिय उक्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थीया का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। लेकिन अप्रार्थी उक्त भूमि को रहन बैय करने पर उतारू है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कनफर्म की जावे। दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 मे वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी की सन् 1955 से पूर्व की भूमि है। अप्रार्थी की भूमि सन् 1955 से पूर्व की मानकर सक्षम न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में खातेदारी सनद जारी की गई है। अप्रार्थी के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया को कोई हक हिस्सा नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व अप्रार्थी के जबाब व सलग्न दस्तावेजों आदि से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है। जिसका अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी को अपनी भूमि को रहन बैय करने का अधिकार है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, साम्य न्याय का सिद्धान्त व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः उपरोक्त विवेचन आदि के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.22 15:54:04 IST
Reason: SelfAttested